अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, राँची

जे०बी०सी० अपील वाद सं० 41 आर० 15/2016–17

65
30.12.2022

मेसर्स सोल्युशन इन्टरप्राईजेज
द्वारा प्रोपराईटर विवके सिंह पिता एल० कुमार सिंह
फ्लैट सं० 201, गणेश अपार्टमेन्ट, फेज ।।, PUSLP परिहार, डॉ भोला नाथ लेन, हरिहर सिंह रोड, थाना बरियातु, जिला राँची .... अपीलकर्त्ता

बनाम्

गौरव कुमार पिता स्व० नाल प्रसाद सिंह
निवासी कुसुम निकेतन 2157, बुटी रोड, थाना बरियातु, जिला राँची
.... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता ने विद्वान भवन किराया नियंत्रक–सह – अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा जे०बी०सी० वाद सं० 16/2016 मे दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत्त विद्वान भवन किराया नियंत्रक–सह–अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर ने उत्तरवादी द्वारा जे०बी० एक्ट, 2011 की धारा 19 (1) (डी०) के अन्तर्गत दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए मौजा बडागांई (बरियातु रोड) के खाता सं० 236, प्लॉट सं० 2626, वार्ड सं० 4, होल्डींग सं० 2157 रकबा 2500 वर्ग फीट परिसर से अपीलकर्त्ता का निष्कासन का आदेश पारित किया गया है।

विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस अपील वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता विगत कई तिथियों से इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। ऐसा प्रतीत होता

अनुसूची संo 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

है कि उन्हे अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः यह अपील वाद पैरवी के अभाव मे खारिज किया जाता है।

इस आदेश की प्रति भवन किराया नियंत्रक– सह – अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखपित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.31 15:21:20 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d